

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2020

जयपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020 /पार्ट-3/9604 दिनांक 10.11.2020 द्वारा राज्य के 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के नगरीय निकायों के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 11.12.2020 को संलग्न सूची के अनुसार मतदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से



(शरद मेहरा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/पार्ट-11/10465

दिनांक : 26/11/2020

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) अलवर, बारां, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव